लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019

नियम 2020

ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच - एन.सी.डी.एच.आर.

8/1, दूसरी मंजिल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली – 110008

दूरभाषः 011–45668341

https://www.facebook.com/AidmamNcdhr/ https://twitter.com/DalitWomenRise

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019, नियम 2020

पॉक्सो एक्ट यानि कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्जुअल अफेंसेस एक्ट (अमेण्डमैन्ट) 2019 जिसको हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019 कहा जाता है। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम) के साथ दुष्कर्म, यौन अपराध और छेड़छाड़, अश्लील चित्र या वीडियो बनाने के अपराधों के मामलों में कार्यवाही का प्रावधान है। इस एक्ट के जरिए बच्चों को सेक्जुअल असॉल्ट, सेक्जुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान होती है। इस कानून के अंतर्गत बालक/बालिका दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है विशेष न्यायालय बालक के प्रति अपराध की गम्भीरता व उसे हुए सामाजिक व मानसिक नुकसान का आकलन करता है। सामाजिक शैक्षणिक भावनात्मक व शारीरिक नुकसान के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करता है। त्वरित न्याय के लिए बाल–अनुकूल प्रक्रियाओं को शामिल करता है। यह पीड़ित बच्चों को मुआवजा भी प्रदान करता है।

पॉक्सो संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत बाल यौन अपराध क्या हैं?

सजा – न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास

क) प्रवेशन लैंगिक हमला – जो कोई किसी वस्तु या शरीर का कोई अंग बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। सजा – जुर्माना के साथ 10 वर्ष से आजीवन कारावास और यदि बालक 16 वर्ष की आयु से कम है तो जुर्माने के साथ 20 वर्ष से आजीवन कारावास।

ख) गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला –जो कोई घातक आयुद्ध, आग्नेयास्त्र, गर्म पदार्थ, संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुये किसी बालक पर लैंगिक प्रवेशन हमला करता है। जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैगिंक हमला करता है जिससे वह बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या मानसिक रोगी हो जाता है, प्रवेशन के द्व ारा घोर उपहाति कारित करता है या उससे उसकी जननेन्द्रियों को शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति पहुँचाता है, बालिका गर्भवती हो जाती है, बालक एच.आई.वी या अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से स्थायी या अस्थायी रूप से ग्रस्त हो जाता है। सजा– जुर्माना के साथ 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड।

ग) लैगिंक हमला – जो कोई लैगिंक आशय के साथ बालक निजि अंगो जैसे योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है। सजा– जुर्माना के साथ 3 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास।

घ) गुरूतर लैगिंक हमला – जो कोई पुलिस अधिकारी, कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल, कोई लोक सेवक या जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह (रिमाण्ड होम) संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा गृह या अन्य विधि के अधीन स्थापित देखरेख और संरक्षण गृह

या अन्य कोई संस्था का कर्मचारी गुरूतर लैगिंक हमला कारित करता है या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ यौनिक हमला, या हमले के बाद हत्या की कोशिश करता है या गर्भवती बालिका के साथ लैगिंक हमला कारित करता है सजा– 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास।

ड़) लैगिंक हमला करने के आशय से लैगिंक उत्पीड़न – जो कोई लैगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है, कोई वस्तु या शरीर का कोई अंग दिखाता है, अश्लील साहित्य दिखाता है, बालक के शरीर के किसी भाग को लैगिक कृत्य में अंतर्वलित इलैक्ट्रोनिक फिल्म या बनावटी तस्वीर खींचकर किसी भी रूप के उपयोग करने की धमकी देता है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन या पारितोषण देता है सजा– जुर्माने के साथ 3 वर्ष।

च) अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयेाग

छ) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर प्रवेशन लैगिंक हमला कारित कराता है।

ज) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किसी अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर गुरूतर लैगिंक प्रवेशन हमला कारित करता है।

झ) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किसी अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर लैगिंक हमला कारित करता है।

ञ) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किसी अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर गुरूतर लैगिंक हमला कारित करता है।

ट) कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य/ सामग्री को भण्डारित/ इक्ट्ठा करता है।

ठ) गंभीर यौन हमला (Aggravated sexual assault):

अधिनियम में गंभीर यौन हमले में दो स्थितियों को शामिल किया गया है। इनमें

(i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया यौनिक हमला, और

(ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिये बच्चे को हारमोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना शामिल है सजा– जुर्माने के साथ 5 वर्ष से 7 वर्ष करावास।

आधिकारिक जवाबदेही– लापरवाही दंडनीय है।

कोई व्यक्ति जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने की सम्भावना है या जानकारी रखता है या किसी भी कम्पनी या किसी संस्था का कोई भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियन्त्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संदर्भ में अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह न्यूनतम 6 माह अधिकतम 1 वर्ष तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण संशोधन अधिनियम 2020, (पोक्सो) 2012, पोक्सो (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत प्रमुख अधिकारीगण एवं उनके कर्त्तव्य	
पुलिस / विशेष किशोर पुलिस यूनिट	• घटना को अभिलेखबद्ध करना। • 24 घण्टे के भीतर प्रकरण पंजीबद्ध करना। • 24 घण्टे के भीतर बालक को बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) के समक्ष पेश करना। • बालक को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सरकारी / प्राईवेट अस्पताल में ले जाना। • बालक की इच्छानुसार स्थान पर उसके बयान लिपिबद्ध करना। • यह सुनिश्चित किया जाना कि अन्वेषण के दौरान बालक का सामना अभियुक्त से न हो। • बालक, उसके माता–पिता / संरक्षक, सहायक व्यक्ति आदि को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया, प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य सेवाओं की जानकारी प्रदान करना। • यह सुनिश्चित करना कि 24 घण्टे के भीतर बालक के बयान नजदीकी महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध करवाना।
बाल कल्याण समिति	• बालक को 3 दिनों के भीतर बाल संरक्षण गृह आदि में भर्ती करवाना। • विशेष किशोर बाल यूनिट, स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय को रिपोर्ट से सम्बन्धित रजिस्ट्रर उपलब्ध कराना। • विशेषज्ञो की सेवायें देने के बदले उनको भुगतान कराना।
मजिस्ट्रेट	• बालक का श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से बयान लिपिबद्ध करना और यदि आवश्यकता हो तो विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों, अनुवादक द्विभाषीय की मदद लेना। • पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कारित लैंगिक आरोपित अपराध के बारे में बालक के बयान लिपिबद्ध करना।
विशेष न्यायालय / जज	• प्रकरण की कैमरा विचारण (ट्रायल) सम्पादित करना। • आरोपित अपराध के सन्दर्भ में साक्ष्यों को 30 दिनों के भीतर अभिलेख पर लेना। • एक वर्ष में विचारण पूर्ण करना। • प्रकरण अनुसार प्रतिकर / मुआवजा के आदेश पारित करना।

विशेष लोक अभियोजक	• प्रकरण अभियोजन पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत करना। • बालक से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को गोपनीय रखेगा। • माता–पिता /संरक्षक या अन्य व्यक्ति को प्रकरण की कार्यवाहियों, उपलब्ध सेवाओं न्यायिक प्रक्रिया एवं सम्भावित परिणामों की जानकारी/सूचनाऐं देना जिस पर कि बालक का भरोसा एवं विश्वास है। • न्यायिक प्रक्रिया में बालक/बालिका की भूमिका के बारे में अवगत कराना। • गवाहों को अभियुक्त/तों से सुरक्षा सुनिश्चित करने बाबत् सम्बन्धित प्राधिकारीगणों को अवगत कराना।
केन्द्रीय सरकार	• पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों का वृहदरूप से प्रचारित करना • सरकारी अधिकारियों, पुलिस तथा अधिनियम को लागू कराने में सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित करना • अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने हेतु नियम बनाना
राज्य सरकार	• प्रत्येक जिले स्तर पर विशेष सैशन न्यायलयों का गठन करना। • प्रत्येक विशेष सैशन न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना। • जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार करना। • अधिनियम के प्रावधानों के बारे में पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना। • उन सभी व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, जो अधिनियम के प्रावधानों का बालक की सहायता के लिए प्रकरण के विचारण से पूर्व एवं विचारण में मदद करेंगे। इसमें एन.जी.ओं. पेशेवर विशेषज्ञ या मनोविशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बालक का शारीरिक स्वास्थ और मानसिक स्वास्थ तथा बाल विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। • विशेष न्यायालय द्वारा प्रतिकर/पुर्नवास के सन्दर्भ में पारित आदेशों के अनुरूप 30 दिनो के भीतर पीड़ित प्रतिकार कोष तथा अन्य योजनाओं में मुआवजा/प्रतिकर तथा पीड़ितों का पुनर्वास करना।
राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग	• केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पोक्सो अधिनियम के क्रियान्विति के बारे में निगरानी करना। • बाल कल्याण समिति से किसी भी प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट मांगना • आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन पर रिर्पोटिंग करना।

पोक्सो अधिनियम 2012 पोक्सो (संशोधन), 2019, पोक्सो संशोधन 2020 के अन्तर्गत प्रक्रिया

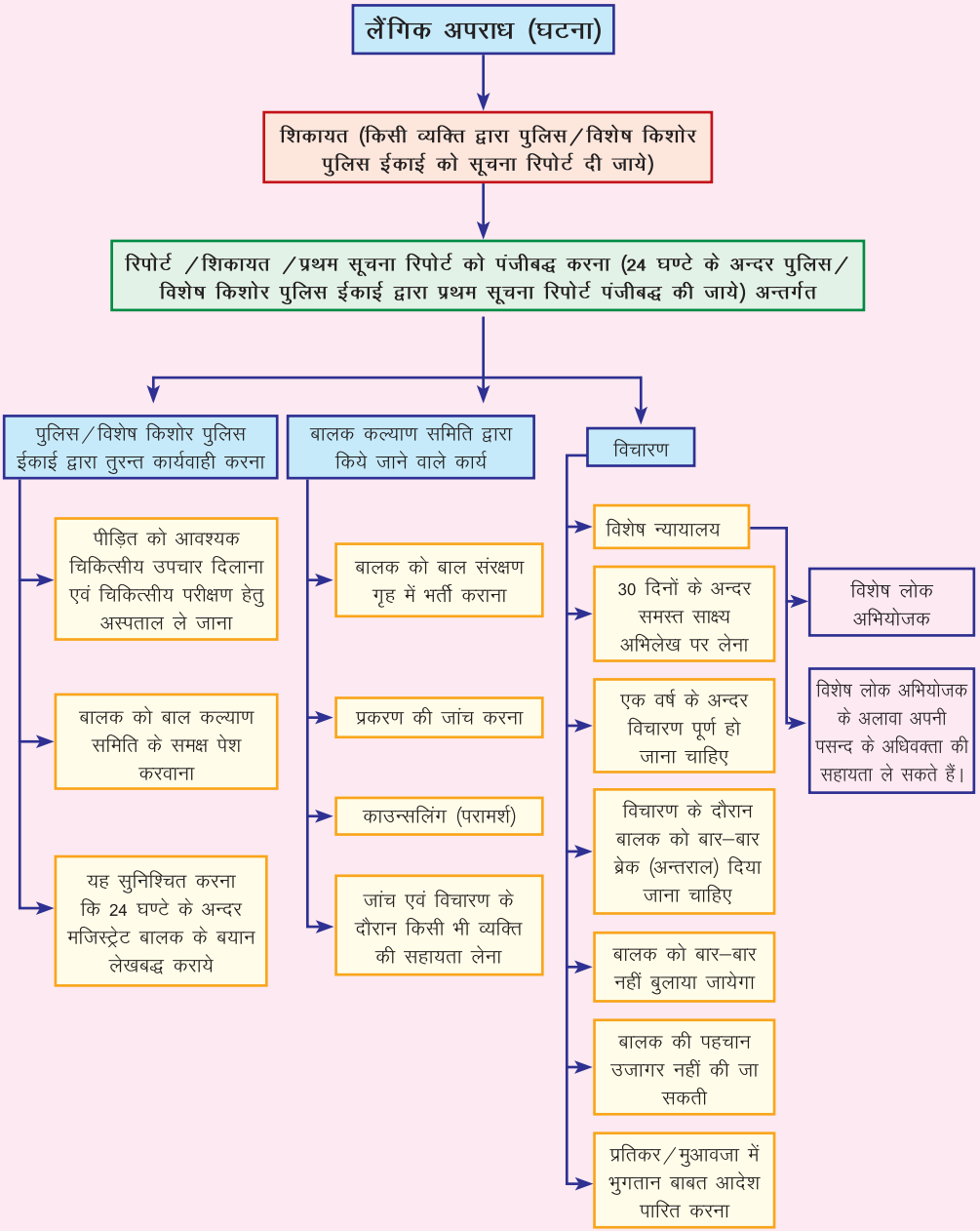

• ए.आई.डी.एम.ए.एम. इस प्रकाशन को लाने में नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के योगदान को अभिस्वीकृत करता है।

• और जानकारी के लिए प्राधिकार से मार्च 9, 2020 को प्रकाशित (भारत का राजपत्र सं. 141 भाग ।। – खण्ड 3, उप–खण्ड (i) देखें।

नोट : इस दस्तावेज का उपयोग किसी भी रूप मे ए.आई.डी.एम.ए.एम.–एन.सी.डी.एच.आर को उचित पावती के साथ किया जा सकता है।